न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

ALINATA PAROTO BUT

समक्षः-वीरेन्द्र सिंह राजपूत प्रकरण कमांक 08 / 2017 एस.टी.(विशेष) संस्थापित दिनांक 18-05-2017

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म०प्र०।

––अभियोजन

बनाम

आजाद खॉ पुत्र दिलावर खॉ, उम्र 19 वर्ष। निवासी ग्राम रतवा, थाना मौ, जिला भिण्ड म०प्र0

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।

//आ दे श// **//आज दिनांक 03–08–2017 को पारित/**

- नोट— प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ व्यपहरण / अपहरण कर बलात्कार किये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम ॲग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री ''जी'' लिखा जा रहा है।
- 01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।
- 02. प्रकरण में आरोपी पर अवयस्क अभियोक्त्री 'जी' का व्यपहरण इस आशय से करने का आरोप है कि उसे अयुक्त संभोग के लिए वाध्य या विवश किया जाएगा तथा यह भी आरोप है कि उसके द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया एवं अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम आयु की थी के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किये जाने के संबंध में भा.द.वि की धारा 363, 366, 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप है।
- 03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2017 को दोपहर करीब

चार बजे फरियादिया कपडे सिलवाने गांव के सरपंच अजमेर के यहाँ गई थी और उसका पित रिस्तेदारी में गया हुआ था। घर पर अभियोक्त्री अकेली थीं. उसी समय आरोपी जो कि उसका पडोसी है आया और उससे पानी मांगा जिस पर अभियोक्त्री ने उसे प्रानी दिया। उसके बाद आरोपी उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर छिडिया में ले गया जहाँ उसने अभियोक्त्री के आंतरिक अंगों को दबाया और उसके कपडे उतारकर उसके साथ गलत काम किया। अभियोक्त्री के चिल्लाने के पर उसकी मां आ गई। उसके पश्चात् अभियोक्त्री अपनी मां के साथ घर पर गई और घर पर सारी बात मां बताई तब दूसरे दिन 24. 03.17 को फरियादिया के पित्त के घर पर आने से थाना पर रिपोर्ट की गई, जिस पर से पुलिस थाना मों में अप०क0 78/2017 अंतर्गत धारा 376 भा.द.िव एवं धारा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की गई, अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए एवं अन्य साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण एवं उम्र के संबंध में एक्सरे परीक्षण कराया गया, जिसमें अभियोक्त्री को नावालिंग होना पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं उसका भी मेडीकल परीक्षण कराया गया। दौराने विवेचना धारा 363, 366 भा.द.िव का इजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र लैंगिक अपराधों से संबंधित होने से इस न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

- 04. आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 363, 366, 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के आवश्यक तत्व पाते हुए आरोप पत्र विरचित किया गया। आरोपी ने अपराध किया जाना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा।
- 05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री 'जी' अ०सा० 1, रेखा बाई अ०सा० 2, मोहरसिंह अ०सा० 3 एवं रामसेवक बरारिया अ०सा० 4 के कथन कराए गए है। अभियोजन की साक्ष्य उपरांत साक्षियों के कथनों में ऐसे तथ्य नहीं आए है जिससे कि अभियुक्त परीक्षण किया जाना आवश्यक होता हो।

06. अभियोक्त्री "जी" अ0सा0 1 जिसका व्यपहरण अयुक्त संभोग करने हेतु विवश करने एवं उसके साथ बलात्कार करने का आरोपी पर आरोप है वह अपने कथनों में आरोपी को अपने गांव का रहने वाला और घटना चार माह पहले की होना अभिकथित करती है। अभियोक्त्री का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि वह स्वयं अपने घर से पानी की टिक्की पीने बाजार गई थी, उस समय उसकी माँ कपड़े सिलवाने गांव में गई थी और पापा रिस्तेदारी में गए थे और जब वह घर पर बापस आई तो उसकी माँ गुस्सा हो गई और बोली कि बताकर क्यों नहीं जाती है। उसके पश्चात् उसकी माँ और वह थाने गए थे और पुलिस वाले उसे अस्पताल लेकर गए थे जहाँ उसकी डॉक्टरी हुई थी। इस साक्षी को भी अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उसके समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इन तथ्यों से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसे आरोपी आजाद घर से जबरदस्ती उठाकर अजमेर बाबा की छिडिया में ले गया था जहाँ उसके आंतरिक अंग दवाए और उसके साथ गलत काम किया।

07. साक्षिया रेखा बाई अ०सा० 2 एवं मोहरसिंह अ०सा० 3 जो कि अभियोक्त्री के माता पिता है। उक्त साक्षीगण के द्वारा भी अपने कथनों में अभियोजन कहानी का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है, जिस कारण उक्त दोनों साक्षीगण को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उनके समक्ष रखा गया है, उसके पश्चात् भी उक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

08. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षी प्र0आर0 रामसेवक बरारिया अ0सा0 4 के द्वारा दिनांक 24.03.2017 को फरियादिया के बताए अनुसार लेख की गई है। उक्त साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने पीडिता एवं आरोपी के अस्तपाल से प्राप्त कपडों की शीलबंद पोटली आदि की जप्ती की गई है तथा थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है।

- 10. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री ''जी'' को आरोपी के द्वारा व्यपहरण इस आशय से किया हो कि उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किया जाए एवं उसके साथ आरोपी के द्वारा बलात्संग किया और उस पर लैंगिक हमला कारित किया हो।
- 11. अतः प्रकरण में प्रकरण की इस स्टेज पर यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने आरोपित अपराध कारित किया।
- 12. परिणामतः आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य न होने के आधार पर आरोपी आजाद खॉ को दं.प्रं.सं संहिता की धारा 232 के अंतर्गत धारा भा.द.वि की धारा 363, 366, 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. अारोपी अभिरक्षा में है, उसके जेल वारंट पर नोट अंकित की जाए कि यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल छोड़ा जावे।
- 14. आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे
- 15. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)